भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2484

(जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।)

प्रत्यक्ष कर संग्रह

2484. थिरु दयानिधि मारनः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 13 जुलाई, 2026 तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रहण, निवल प्रत्यक्ष कर संग्रहण और जारी किए गए आयकर प्रतिदाय का तमिलनाडु के संबंधित आंकड़ों सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने रोजगार सृजन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास और घरेलू खपत के संबंध में लगातार चिंताओं के बावजूद प्रत्यक्ष कर संग्रहण में वृद्धि के कारणों का विश्लेषण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खुदरा निवेशकों, छोटे व्यापारियों और बाजार भागीदारी पर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संग्रहण में वृद्धि के प्रभाव का आकलन किया है और क्या वर्तमान एसटीटी ढांचे की कोई समीक्षा विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का प्रतिदाय की तीव्र संसाधित प्रक्रिया सुनिश्चित करके, वेतनभोगी करदाताओं, एमएसएमई और छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ को कम करके और डिजिटल कर सेवाओं में सुधार करके कर प्रशासन को सुदृढ़ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर:
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क)**:** वित्तीय वर्ष 2026-27 (13 जुलाई, 2026 तक) के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रहण, निवल प्रत्यक्ष कर संग्रहण और आयकर रिफंड विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

वित्तीय वर्ष 2026-27 (दिनांक 01.04.2026 से 13.07.2026 तक)			
	सकल संग्रहण (करोड़ रुपये में)	रिफंड (करोड़ रुपये में)	निवल संग्रहण (करोड़ रुपये में)
अखिल भारतीय	7,73,912.97	1,25,837.43	6,48,075.54
तमिलनाडु	46,545.84	9,362.89	37,182.95

(ख): जी हां, प्रत्यक्ष कर संग्रहण में वृद्धि के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

(i) नया फॉर्म 26एएस चालू किया गया है, जिसमें स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह की सभी जानकारी, वित्तीय लेनदेन का विवरण (एसएफटी), और करों का भुगतान, मांग और रिफंड, लंबित और पूर्ण हुई कार्यवाही दर्शानी होती है। इसके अलावा, फॉर्म 26एएस में दिए गए एसएफटी डेटा के विवरण से करदाता अपने लेनदेन के बारे में पहले से ही सजग हो जाता है और अपनी वास्तविक आय को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित होता है।

(ii) स्वैच्छिक अनुपालन में सरलता को बढ़ाने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए आयकर विवरणी को अद्यतन (अपडेट) करने की सुविधा शुरू की गई है। धारा 139 में एक नई उप-धारा (8ए) जोड़ी गई है, जिससे करदाता को प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से दो साल के भीतर कभी भी अपनी विवरणी अद्यतन (अपडेट) करने में सक्षम होने की सुविधा मिलती है। कोई करदाता स्वेच्छा से चूक या गलतियों को स्वीकार करके और लागू अतिरिक्त कर का भुगतान करके अपनी अद्यतन विवरणी दाखिल कर सकता है।

(iii) आयकर विभाग को स्रोतों/रिपोर्टिंग संस्थाओं से विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेन-देन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। करदाता के साथ इस जानकारी को साझा करके और ई-सत्यापन योजना में जांच से पहले डेटा की अशुद्धियों/गुम डेटा को ठीक करने का अवसर प्रदान करके, स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(iv) नए करदाताओं को आयकर विभाग के दायरे में लाने के लिए, टीडीएस/टीसीएस के दायरे का विस्तार किया गया है जिसमें भारी मात्रा में नकद निकासी, विदेशी प्रेषण, लग्जरी कार की खरीद, ई-कॉमर्स प्रतिभागी, माल की बिक्री, अचल संपत्ति का अधिग्रहण, एलआरएस के तहत प्रेषण, विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की खरीद आदि को शामिल किया गया है।

(v) इसके अलावा, सरकार ने देश भर के उद्यमों के लिए व्यापार करने में आसानी में सुधार और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। एमएसएमई के लिए, उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) 01.07.2020 को शुरू किया गया था जो पूरी तरह से ऑनलाइन, कागज रहित और स्व-घोषणा पर आधारित है। यूआरपी का सीबीडीटी सहित विभागों के कई पोर्टलों के साथ एपीआई एकीकरण है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। उन अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) के लिए जिन्हें जीएसटी से छूट दी गई है, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) 11 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। औपचारिकीकरण पहल व्यापार करने में आसानी प्रदान करती है, एमएसएमई के लिए एक पहचान बनाती है जिससे वे पात्रता मानदंडों के अधीन विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के पात्र हो जाते हैं।

(vi) एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन और थ्रेशहोल्ड मानदंड में ऊर्ध्वगामी संशोधन से देश के आर्थिक परिदृश्य को एक नया रूप मिला है। निवेश और वार्षिक टर्नओवर समग्र मानदंड (2025 में उच्च सीमा के साथ और बढ़ाया गया) में परिवर्तन करके, सरकार ने सीधे एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और विस्तार की सुविधा प्रदान की है।

(ग)**:** (i) खुदरा निवेशकों और छोटे व्यापारियों द्वारा सामान्यतया किए जाने वाले लेनदेनों, जैसे कि इक्विटी शेयरों की खरीद और बिक्री और वास्तविक सुपुर्दगी से संबंधित व्यावसायिक न्यासों की इकाइयों पर लागू प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) वित्त अधिनियम, 2012 से अपरिवर्तित रहा है। इसी तरह, वित्त अधिनियम, 2013 के बाद से इक्विटी-उन्मुख फंडों की इकाइयों की बिक्री पर एसटीटी दर अपरिवर्तित बनी हुई है। जबकि फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रांज़ैक्शन पर STT दरों को फाइनेंस एक्ट, 2026 द्वारा नवीनतम रूप से संशोधित किया गया था, ये परिवर्तन मुख्य रूप से डेरिवेटिव ट्रांज़ैक्शन से संबंधित हैं.

(ii) वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, कुल एफ एंड ओ टर्नओवर (वायदा और विकल्प प्रीमियम टर्नओवर) में एनएसई का हिस्सा 91.6 प्रतिशत रहा है और इस प्रकार इसकी बाजार हिस्सेदारी प्रभुत्वकारी है। 1 अप्रैल, 2026 से एसएसटी में हुई वृद्धि से एनएसई ईयर ऑन ईयर डेटा के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि बाजार सहभागियों की सभी श्रेणियों में कुल मात्रा 16.2 प्रतिशत रही है जो कि काफी अधिक है।

(iii) मौजूदा प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) ढांचे की समीक्षा के संबंध में, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ, रिफंड की तीव्र प्रक्रिया सुनिश्चित करके और डिजिटल कर सेवाओं में सुधार करके कर प्रशासन को सुदृढ़ करना एक सतत् और चालू प्रक्रिया है। सरकार ने इस दिशा में कई उपाय किए हैं जिनमें तकनीकी उन्नयन, आयकर विवरणी (आईटीआर) की तेजी से प्रोसेसिंग सुनिश्चित करना, संबद्ध सत्यापन नियमों को मजबूत करना और करदाताओं को रिफंड उद्देश्यों के लिए मान्य बैंक खाते को प्रस्तुत न करने जैसी प्रासंगिक कमियों को दूर करने के लिए सूचित करना आदि शामिल हैं।
